बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
—:: संकल्प ::—

श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्राचार्य —सह— केन्द्राधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार, गया सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा के विरूद्ध अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा जुलाई, 2018 में अनियमितता पायी गयी। श्री कुमार द्वारा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन संबंधी व्यवस्थाएँ नहीं की गयी यथा परीक्षार्थियों के बैठने हेतु ससमय न तो सीट प्लान किया गया और न ही परीक्षार्थियों के बैठने हेतु बेंच—डेस्क आदि की व्यवस्था की गयी। फलतः परीक्षा विलम्ब से प्रारम्भ हुई तथा परीक्षार्थियों के द्वारा हंगामा आरंभ कर दिया गया। तत्संबंधी सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ। प्रायोगिक परीक्षा की जॉब की जाँच में पाया गया कि जॉब गैस कटर से बनाया गया उसके बाद फाईल का प्रयोग किया गया। उक्त अनियमितता आदि के लिए श्री पंकज कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया तथा विभागीय ज्ञापांक—582 दिनांक—08.03.19 द्वारा श्री पंकज कुमार को आरोप पत्र सहित सभी साक्ष्यों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 19 के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

2. उक्त के आलोक में श्री पंकज कुमार द्वारा कार्यालय पत्रांक—285 दिनांक—10.06.19 से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में आरोपों को निराधार बताते हुये उल्लेख किया गया कि सम्पूर्ण परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त हुई है। साक्ष्य के रूप में उन्होंने खैरियत प्रतिवेदन, उड़नदस्ता एवं जिला प्रशासन, गया के द्वारा दी गई टिप्पणी तथा प्रेक्षक का प्रतिवेदन संलग्न किया गया। समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में प्रकाशित सूचना के संबंध में उन्होंने उल्लेख किया कि समाचार पत्र में औ०प्र० संस्थान, तेतरिया का फोटो प्रकाशित हुआ है जिसमें छात्र नीचे बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उक्त समाचार पत्र में औ०प्र० संस्थान, महकार का कोई उल्लेख नहीं है। परीक्षा विलम्ब से प्रारम्भ करने के संबंध में उनके द्वारा कहा गया कि विभिन्न आई०टी०आई० के परीक्षार्थियों की सूची रौल लिस्ट से मिलाई जानी थी परन्तु उन्हें दिनांक—23.07.2018 को 8:08 बजे रात्रि में रौल लिस्ट प्राप्त हुआ। बेंच एवं वीक्षण कार्य हेतु सरकारी स्कूल से शिक्षक की व्यवस्था कर दी गयी थी तथा पूरे संस्थान में CCTV कैमरा लगवाया गया था। गैस कटर द्वारा जॉब बनाये जाने के संबंध में कहा गया कि गैस कटर का क्रय औ० प्र० संस्थान, महकार में नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में जॉब बनाना सम्भव नहीं है। गैस कटर से जॉब बनाने का आरोप गलत है। श्री पंकज कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि उन्होंने बिना निधि एवं बिना सहयोगी कर्मी के परीक्षा का संचालन कराया है। उनके विरूद्ध आरोप गलत हैं।

3. श्री पंकज कुमार के उक्त अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षापरान्त पाया गया कि खैरियत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षक का प्रतिवेदन में परीक्षा का शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त बताया गया है परन्तु इससे श्री पंकज कुमार के विरूद्ध गठित आरोप खण्डित नहीं होते हैं। श्री पंकज कुमार द्वारा यह कहा गया है कि समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में औ०प्र० संस्थान, तेतरिया का फोटो प्रकाशित हुआ है एवं उसमें महकार का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि समाचार पत्र की प्रति में प्रकाशित फोटो औ०प्र० संस्थान, तेतरिया का है, परन्तु समाचार पत्र में औ०प्र० संस्थान, तेतरिया के साथ यह भी उल्लेखित किया गया है कि औ०प्र० संस्थान, महकार में भी न तो परीक्षार्थियों को बैठने के लिये बेंच की समुचित व्यवस्था थी और न ही सीट प्लान तैयार था जिसके कारण छात्रों

ने हंगामा किया। परीक्षा केन्द्र पर काफी कुव्यवस्था देखने को मिली। इसी प्रकार श्री पंकज कुमार यह उल्लेख किया गया कि व्यवहारिक परीक्षा में गैस कटर का प्रयोग नहीं किया गया, परन्तु निदेशालय के जाँचदल के द्वारा पाया गया कि जॉब गैस कटर से बनाया गया एवं उसके बाद फाईल का प्रयोग किया गया तथा परीक्षार्थियों को Average Marking की गई। केन्द्राधीक्षक के रूप में श्री पंकज कुमार के लिए आवश्यक था कि वे व्यवाहरीक परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्षों की लगातार निगरानी करते एवं अगर बाह्य परीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को Average Marking की जा रही थी तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों द्वारा तैयार किये गये कुछ जॉब का Randomise रूप से भौतिक सत्यापन कर आश्वस्त हो लेना चाहिए था कि बाह्य परीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को Marking सही की जा रही है की नहीं। इस प्रकार श्री पंकज कुमार के विरूद्ध अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा जुलाई, 2018 में परीक्षा केन्द्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार, गया में अनियमितता आदि के आरोप प्रमाणित होते हैं। फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री पंकज कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशाधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (i) के आलोक में आरोप वर्ष के लिए निंदन एवं 14 (v) के आलोक में असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोके जाने का लघु दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव, श्री पंकज कुमार, तत्कालीन प्राचार्य –सह– केन्द्राधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महकार, गया सम्प्रति प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा के विरूद्ध आरोप वर्ष के लिए निंदन तथा असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोके जाने का लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

निबंधित / सीधे डाक

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री पंकज कुमार, प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 33/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 24/2018 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव

115

ज्ञापांक-6 / श्रम वि० आ० (01)- 33 / 2018 श्र०सं०- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-6 / श्रम वि० आ० (01)- 33 / 2018 श्र०सं०- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-6 / श्रम वि० आ० (01)- 33 / 2018 श्र०सं०- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री पंकज कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-6 / श्रम वि० आ० (01)- 33 / 2018 श्र०सं०- 2557 पटना, दिनांक- 11/11/19

प्रतिलिपि-निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण / अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / प्रभारी गोपनीय शाखा / लोक सूचना पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-01), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/10/19

सरकार के उप सचिव

आई०टी०मैनेजर